



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

आदेश सं०: SHSB/GA/HR/1685/2016/.....

पटना, दिनांक:...../12/2018

-:आदेश:-

विज्ञापन सं० 07/2018 के तहत शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैया कराने हेतु जनहित में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के अधीन राज्य के चिन्हित शहरों में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (UPHCs) हेतु **Medical Officer-Part Time** के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से एकमुश्त मानदेय ₹34,000/- (चौतीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम	पदस्थापन
1	2	3	4
1.	18072008	DR. SMITA KUMARI	Patna
2.	18072214	DR. RANJANA KUMAR	Patna
3.	18072167	DR. CHANDAN KUMAR	Muzaffarpur
4.	18072033	DR. SARITA SINHA	Patna
5.	18072172	DR. KAJAL KISHLAY	Patna
6.	18072086	DR. RIMJHIM	Patna
7.	18072189	DR. SHACHI	Muzaffarpur
8.	18072140	DR. ADITYA KUMAR	Patna
9.	18072087	DR. SEEMA GIRI	Muzaffarpur
10.	18072187	DR. PRAMAY PUNJ	Muzaffarpur
11.	18072094	DR. KUMAR NISHANT	Gaya
12.	18072188	DR. NAZIA TARANNUM	Patna
13.	18072161	DR. ARCHANA SINHA	Patna
14.	18072233	DR. DEEPIKA	Patna
15.	18072031	DR. ANKITA SHARMA	Patna
16.	18072012	DR. GITANJALI	Patna
17.	18072095	DR. PRITI ABHA	Patna
18.	18072046	DR. ARSHMALA	Darbhanga
19.	18072222	DR. SAMAR HANNAN	Patna
20.	18072088	DR. KALYANI KALA	Patna
21.	18072221	DR. MD ZEESHAN JAWED	Purnea
22.	18072226	DR. SARITA SINGH	Bhojpur
23.	18072195	DR. PAWAN KUMAR	Begusarai
24.	18072077	DR. ABHINAV DEEP	Nalanda





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

क्र.सं.	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम	पदस्थापन
1	2	3	4
25.	18072147	DR. EKTA BHARTIYA	Patna
26.	18072171	DR. MD OBAIDUR RAHMAN	Bhojpur
27.	18072092	DR. SHWETA	Nalanda
28.	18072059	DR. NEHA AGRAWAL	Begusarai
29.	18072148	DR. EKTA RANI	Bhojpur
30.	18072220	DR. KUMAR ABHISHEK	Darbhanga
31.	18072113	DR. KHUSHBOO	Patna
32.	18072152	DR. DIVYA BHARATI	Patna
33.	18072183	DR. JUVARIA SAMAR SAMEERA	Nalanda
34.	18072137	DR. SURYAJITA KUMAR SINGH	Saran
35.	18072232	DR. FARHA IMTEYAZ	Darbhanga
36.	18072157	DR. NISHI KUMARI	Bhojpur
37.	18072199	DR. ROHIT KUMAR	Gaya
38.	18072054	DR. SHREEYA RANI	Gaya
39.	18072056	DR. MD PERWAIZ ALAM	Darbhanga
40.	18072200	DR. KUNDAN KUMAR	Gaya
41.	18072254	DR. ADWITYAMA	Patna
42.	18072055	DR. MADHU MALA	Gaya
43.	18072131	DR. SAROJI BANO	Bhagalpur
44.	18072107	DR. SANTOSH KUMAR	Bhagalpur
45.	18072115	DR. AMRITA SINGH	Darbhanga
46.	18072065	DR. NITYA NAND SINGH	Gaya
47.	18072009	DR. SUMAN KUMAR	Nalanda
48.	18072159	DR. TRINETRI KUMARI	Patna
49.	18072170	DR. SUDHANSHU HIM	Begusarai
50.	18072038	DR. ASHWINI KUMAR	Bhagalpur
51.	18072197	DR. PRANAL KUMAR	Rohtas
52.	18072209	DR. NIPPU KUMAR	Begusarai
53.	18072011	DR. MANINDRA KUMAR DIVYA	Patna
54.	18072245	DR. KRISHNA KUMAR RAM	Rohtas
55.	18072198	DR. SUNIL KUMAR	Gaya
56.	18072215	DR. BALRAM KUMAR	Saharsa





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



क्र.सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	पदस्थापन
1	2	3	4
57.	18072247	DR. BINIT PRASAD	Katihar
58.	18072017	DR. KUNDAN KUMAR NIKHIL	Purnea
59.	18072101	DR. MANISH KUMAR	Saharsa
60.	18072207	DR. HARENDRA KUMAR	Bhagalpur
61.	18072001	DR. MUKESH KUMAR	Bhagalpur
62.	18072208	DR. AMIT KUMAR GOND	Gaya
63.	18072064	DR. VENUS	Saran

उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- दिनांक **15.01.2019** तक अपने नाम के सामने स्तंभ-4 में अंकित पदस्थापन जिला के जिला स्वास्थ्य समिति में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
- योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए ₹1,000/- (एक हजार रुपये) का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक **21.01.2019** तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।
- यदि सरकारी सेवा में हैं या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
- वैसे चयनित अभ्यर्थी, जो BMRC में निबंधन नहीं करा पाए हैं वे निबंधन करा कर निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मानव संसाधन कोषांग को समर्पित करें एवं मूल निबंधन प्रमाण-पत्र दिखावें, अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।
- यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए होगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 (तीन) वर्ष तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



- viii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।
- ix. उक्त चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्वसूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
- x. NUHM के अधीन **Medical Officer-Part Time** के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को एकमुश्त मानदेय ₹34,000/- (चौतीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान FMR code- U.8.1.8.1.2 के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य संस्थान से किया जाएगा।

3. सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से मानव संसाधन कोषांग के **E-Mail ID: shsbhrcell@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला अन्तर्गत Urban Primary Health Center पर पदस्थापन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) कोषांग द्वारा किया जाएगा।

5. Medical Officer- Part Time के लिए उक्त चयनित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा Medical Officer- Full Time के लिए भी आवेदन दिये गये थे और उनका चयन भी मेधाक्रमानुसार उक्त पद पर भी हुआ है। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी किसी एक ही पद पर योगदान कर सकते हैं तथा दूसरे पद पर योगदान नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जिस पद पर वे योगदान नहीं करते हैं, वहाँ प्रतीक्षा सूची से पदस्थापन किया जा सकेगा।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

ज्ञापकः 6617

पटना, दिनांक: 26/12/2018

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/संबंधित जिलों के UPHC के प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/उपसचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक, वित्त/वित्त प्रबंधक/राज्य लेखा प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य शहरी





स्वास्थ्य वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

